

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

भारत सरकार Government
of India
रेल मंत्रालय
Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)



RBA No. 13/2024

New Delhi, dated: 09-04-2024

No.2024/ACII/2/4

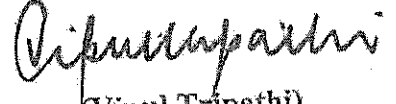
The General Managers/PFAs,
All Indian Railways & PUs etc.

Sub: ACS No. 56 modifying Appendix IV- List of Major and Minor Heads of Accounts of Indian Railways Code for the Accounts Department PART-I (Insert of Major Head 4016- Capital Outlay on Audit).

Office of CGA has introduced a new Major Head 4016- Capital Outlay on Audit in the List of Major and Minor heads of Accounts (LMMH) for accountal of Capital Expenditure on Audit. Accordingly, the necessary change has been made in Appendix IV of the Indian Railways Code for the Accounts Department- Part-I, (Second Reprint) 1997 as per Advance Correction Slip (ACS) No. 56 enclosed herewith.

Contents of the correction slip may please be circulated suitably.

Please acknowledge receipt.


(Vipul Tripathi)
Director Accounts
Railway Board

New Delhi, dated: 09-04-2024

No.2024/ACII/2/4

Copy to:

- Controller General of Accounts, Dept of Expenditure, M/o Finance, Mahalekha Niyantrak Bhawan, E- Block, GPO Complex, INA, New Delhi- 110023.
- Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.
- EDF(X)-I, EDEE(M), EDW(P), EDF(B)..
- AC-I (Comp), AC-III (6 Copies), AC-IV, Code Revision, Accounts Inspection, Accounts Appropriation, Finance (Budget), Pay & Accounts Office.

Advanced Correction Slip No. 56

INDIAN RAILWAY CODE FOR THE ACCOUNTS DEPARTMENT

Part-I (Second Reprint) 1997

Appendix-IV

Insert the following Major Head, Sub Major Head, Minor Head, Sub (Minor) Head and Detailed Heads under SECTION II- MAJOR AND MINOR HEADS OF RAILWAY CAPITAL CONSOLIDATED FUND- CAPITAL PUBLIC DEBT-LOANS ETC. EXPENDITURE HEADS (CAPITAL ACCOUNTS):

MAJOR HEAD: 4016 –CAPITAL OUTLAY ON AUDIT

SUB- MAJOR HEAD: 00

MINOR HEAD: 102- INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

EXPLANATORY NOTES

SUB (MINOR) HEAD: 01- FIELD OFFICES

DETAILED HEAD: 05- RAILWAY AUDIT OFFICES

(Effective from 2024-25)

(Authority: Board's letter no. 2024/ACII/2/4 dated 09.04.2024)

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड/Railway Board)

आरबीए सं. 13/2024

सं.2024/एसी 11/2/4

नई दिल्ली, दिनांक: 09-04-2024

महाप्रबंधक/प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां आदि।

विषय: भारतीय रेल लेखा संहिता भाग-1 के परिशिष्ट IV-लेखा के मुख्य और लघु शीर्षों की सूची में संशोधन करने के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 56 (मुख्य शीर्ष 4016-लेखा परीक्षा पर पूंजी परिव्यय को जोड़ें)।

लेखा परीक्षा (सीजीए) कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा पर पूंजी व्यय के लेखे-जोखे के लिए लेखा के मुख्य और लघु शीर्षों की सूची में एक नया मुख्य शीर्ष 4016-लेखा परीक्षा पर पूंजी परिव्यय खोला गया है। तदनुसार, इसके साथ संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या 56 के अनुसार भारतीय रेल लेखा संहिता, भाग-1(द्वितीय पुनर्मुद्रण) 1997 के परिशिष्ट IV में आवश्यक परिवर्तन किया गया है।

कृपया शुद्धि पर्ची की विषय-वस्तु को अथोचित रूप से परिपत्रित किया जाए।

कृपया पावती दें।


(विपुल त्रिपाठी)
लेखा निदेशक
रेलवे बोर्ड

सं.2024/एसी॥2/4

नई दिल्ली, दिनांक: 09-04-2024

प्रतिलिपि प्रेषित:

- i. महानियंत्रक/लेखा, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, महालेखा नियंत्रक भवन, ई-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023.
- ii. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेल), कमरा संख्या 224, रेल भवन, नई दिल्ली।
- iii. ईडीएफ (एक्स)-I, ईडीईई (एम), ईडीडब्ल्यू (पी), ईडीएफ (बी)।
- iv. लेखा-I (संकलन), लेखा-III (6 प्रतियां), लेखा-IV, संहिता संशोधन, लेखा निरीक्षण, लेखा विनियोग, वित्त (बजट), वेतन एवं लेखा कार्यालय।

अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या 56

भारतीय रेल लेखा संहिता
भाग-I (द्वितीय पुनर्मुद्रण) 1997
परिशिष्ट-IV

खंड-II- रेलवे पूंजी समेकित निधि के मुख्य और लघु शीर्ष- पूंजी लोक कर्ज-ऋण आदि
व्यय शीर्ष (पूंजी लेखा) के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष, उप-मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष, उप
(लघु) शीर्ष और विस्तृत शीर्ष जोड़ें: -

मुख्य शीर्ष: 4016- लेखा परीक्षा पर पूंजी परिव्यय

उप-मुख्य: शीर्ष 00

लघु शीर्ष: 102- भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग

व्याख्यात्मक टिप्पणी

उप(मुख्य) शीर्ष: 01-फील्ड कार्यालय

विस्तृत शीर्ष: 05-रेलवे लेखा परीक्षा कार्यालय

(2024-25 से लागू)

(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 09.04.2024 का पत्र संख्या 2024/एसी II/2/4)
